

श्रीमती हरजीत vs रतनलाल

प्र. संख्या 23/2021 (2021/35)

01/01/2021

अज

Singh and Co.

पत्रावली केस (डी) अखिलेश उमय पक्ष एवं वेरोका लखन उपलब्ध विपक्षी संख्या 2 उपलब्ध नहीं। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के इच्छेय दिए जाते हैं। विपक्षी सं. 4 जोरमल पक्षीय हैं। विपक्षी संख्या 1 व 3 के अखिलेश ने सहमति का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया जावे। बहस प्रकार अखिलेश उमय पक्ष जुती गई।

इसने पत्रावली का अवलोकन का उमय पक्ष की बहस पर मगन किया। प्रार्थी नवल जमाकर लखन 2068-2071 अजुआ गाम समलिया प.ह. समलिया तहसील चित्तौड़गढ़ की आ.नं. 1623/462 रकब 0.54 हे. की स्वतःदारी। प्रार्थी स्वतःदारी भूमि की पत्थरगदी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 Cr.Pet स्वीकार किया जाकर गाम समलिया स्थित प्रार्थी की स्वतःदारी आ.नं. 1623/462 रकब 0.54 हे. भूमि की बिना किली के कस्बे में दरखलावती फिर सेरलमे नर नक्शे अजुआ पत्थरगदी फिर जाने के इच्छेय दिए जाते हैं। पत्थरगदी शुल्क Rs. 1000/- अर्को एक हजार रुपए प्रार्थी वहां करे। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिख जावे कि पक्षकारण को लिखित सूचना देकर निधमाजुआ पत्थरगदी की जावे। एवं पालनार्थ रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। निवेद लिखमा जाकर लरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से कम है।

(श्याम सुन्दर विनोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

